परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्रांकः– 111 मु0प्र0प्र0(संचा0)/कैम्प/2020 दिनांक : 06, मई, 2020

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय :– कोविड–19 के दृष्टिगत लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को उनके अधिकारी/कार्मिकों/श्रमिकों के लिए परिवहन निगम की बसें विशेष चाटर्ड दरों पर उपलब्ध कराये जाने की योजना के सम्बन्ध में।

कोविड–19 के दृष्टिगत घोषित लॉकडाउन अवधि में भारत सरकार द्वारा जनपदों में स्थित कतिपय औद्योगिक गतिविधियों के संचालन को अनुमन्य किया गया है। निजी/सार्वजनिक यातायात के साधन वर्तमान में प्रतिबन्धित होने के कारण औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत अधिकारी/कार्मिकों/श्रमिकों को उनके कार्यस्थल पर पहुँचने में उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण हेतु उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा जनहित में स्थानीय उपयोग हेतु निगम की साधारण बसे विशेष चाटर्ड दरों पर उपलब्ध करायी जा सकती है। इस सुविधा का लाभ उठा कर औद्योगिक इकाईयों के कार्मिक अपने कार्यस्थल पर समय से उपस्थित हो सकेंगे एवं ड्यूटी समाप्त होने के पश्चात् सुगमता पूर्वक अपने निवास स्थान पर वापस पहुँच सकेगें।

प्रदेश के 75 जनपदो में परिवहन निगम के 115 बस डिपो स्थापित है। जिनमें 52 सीट क्षमता की साधारण बसे उपलब्ध रहती हैं। औद्योगिक इकाईयों द्वारा यथा आवश्यकता बसों की मांग हेतु सम्बन्धित डिपो, क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय अथवा मुख्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक का नाम एवं मोबाईल नम्बर सम्पर्क हेतु संलग्न है।

औद्यिगिक इकाइयों हेतु बसों की दैनिक चाटर्ड दरें

क्र. सं	बस हेतु दैनिक निर्धारित अधिकतम कि0मी0	बस की शुद्ध चाटर्ड दर	देय जी0एस0टी0 18 प्रतिशत की दर से	कुल चाटर्ड दर	दैनिक निर्धारित अधिकतम कि0मी0 से अतिरिक्त कि0मी0 संचालित करने पर देय दर प्रति कि0मी0	12 घण्टे के उपरान्त प्रतीक्षा शुल्क प्रति घण्टा
1	2	3	4	(3+4 = 5)	6	7
1	50	4360	785.00	5145.00	87.20 (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)	500.00
2	100	5685	1023.00	6708.00		
3	150	6710	1226.00	8036.00		
4	200	8110	1460.00	9570.00		

उक्त विशेष व्यवस्था कोविड–19 के कारण लागू प्रतिबन्धों की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।

उपरोक्त व्यवस्था के समन्वय हेतु परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ स्तर पर श्री राजीव चौहान, प्रधान प्रबन्धक (संचालन), मोबाइल नम्बर–9415115558 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

<u>संलग्नक : यथोक्त ।</u>

(डा. राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ।
2. औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, परिवहन उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. निदेशक उद्योग उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
7. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशा0/संचा0/प्रावि0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
8. समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
9. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो/वित्त) उ0प्र0 परिवहन निगम को इस निर्देश से कि जनपद के जिलाधिकारी एवं महाप्रबन्धक, उद्योग से सम्पर्क कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
10. गार्ड फाइल।

(डा. राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक